रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 37(अ).—प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की अपेक्षानुसार, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 751(अ), दिनांक 12 अक्तूबर, 2011 के अंतर्गत उस तारीख जिस तक उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 12-10-2011 को जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप में जनता से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, तारीख और आरम्भ.**—(i) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में—

नियम 8(घ) में "विजीटर्स राउण्ड" शब्दों के बाद "अथवा उसके फोटोग्राफ लें" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/4/2011-एम]

गौतम सेनगुप्ता, महानिदेशक

पाद टिप्पण.—मूल नियम, दिनांक 15 अक्तूबर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii), पृष्ठ 519-525 पर प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे।

(i) का.आ. 3520, दिनांक 20 नवम्बर, 1966;

(ii) सा.का.नि. 663, दिनांक 1 मई, 1967;

(iii) का.आ. 5002, दिनांक 13 दिसम्बर, 1969;

(iv) का.आ. 935, दिनांक 16 फरवरी, 1971;

(v) सा.का.नि. 90, दिनांक 30 जनवरी, 1991;

(vi) सा.का.नि. 306, दिनांक 10 जुलाई, 1996;

(vii) सा.का.नि. 799(अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2000;

(viii) सा.का.नि. 800(अ), दिनांक 17 अक्टूबर, 2000;

(ix) सा.का.नि. 848(अ), दिनांक 3 नवम्बर, 2000;

(x) का.आ. 10(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2001;

(xi) सा.का.नि. 688(अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2001;

(xii) सा.का.नि. 372(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2003;

(xiii) सा.का.नि. 112(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2008;

(xiv) सा.का.नि. 164(अ), दिनांक 5 मार्च, 2008;

(xv) सा.का.नि. 436(अ), दिनांक 9 जून, 2008;

(xvi) सा.का.नि. 429(अ), दिनांक 20 मई, 2010।

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2012

G.S.R. 37(E).—Whereas a draft of rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 was published as required by the Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites Remains Act, 1958 (24 of 1958), in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) dated the 12th October, 2011, under the notification of the Government of India, in the Ministry of Culture (Archaeological Survey of India) number G.S.R. 751(E), dated the 12th October, 2011, inviting objection and suggestion from all persons likely to be effected thereby, before the expiry of the period of the thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 12-10-2011;

And whereas, no objections and suggestions have been recceived from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, namely:—

1. **Short title, date and commencement.**— (i) These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959—

In rule 8(d) after the words "visitors round" the words "or take his photographs" shall be omitted.

[F. No. 1/4/2011-M]

GAUTAM SENGUPTA, Director General

Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th October, 1959 at pages 519-525 and subsequently amended *vide*—

(i) S.O. 3520, dated 20th November, 1966;

(ii) G.S.R. 663, dated 1st May, 1967;

(iii) S.O. 5002, dated 13th December, 1971;

(iv) S.O. 935, dated 16th February, 1971;

(v) G.S.R. 90, dated 30th January, 1991;

(vi) G.S.R. 306, dated 10th July, 1996;

(vii) G.S.R. 799(E), dated 17th October, 2000;

(viii) G.S.R. 800(E), dated 17th October, 2000;

(ix) G.S.R. 848(E), dated 3rd November, 2000;

(x) S.O. 10(E), dated 5th January, 2001;

(xi) G.S.R. 688(E), dated 24th September, 2001;

(xii) G.S.R. 372(E), dated 30th April, 2003;

(xiii) G.S.R.112(E), dated 27th February, 2008;

(xiv) G.S.R. 164(E), dated 5th March, 2008;

(xv) G.S.R. 436(E), dated 9th June, 2008;

(xvi) G.S.R. 429(E), dated 20th May, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.